

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं०-274/2022

धारा-144 दं०प्र०स०

जसवा देवी वगै० -बनाम- सरजु रविदास वगै०

तारिख

-: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-

अभियुक्ति

यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार दिनांक 29.10.2022 को दं०प्र०स० कि धारा 144 के तहत कार्रवाई को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :-


मौजा- सलैया, थाना-गोरहर, जिला-हजारीबाग।


खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहद्दी
110	1071	0.3 डी० मधे रकबा 0.1 डी०	उ०- कंडी सुण्डी द०- पक्की रोड पू०- प्लॉट नं० 1071 का अंश
110	1072	0.4 डी०	प०- मसों० परवतिया
110	1070	0.12 डी०	उ०- शिवा चमार द०- रास्ता
110	1069	6 डी०	पू०- भैरों सुण्डी प०- भैरों सुण्डी

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कागजात एवं अधिवक्ताओं के दलील तथा उभय पक्षों के बयानात से स्पष्ट है कि वादी प्रतिवादी भूमि से संबंधित अपने-अपने कागजात के आधार एवं प्रश्नगत भूमि पर उभय पक्ष अपने-अपने हक-हकियत का दावा कर रहे हैं जिससे स्पष्ट होता है कि मामला (title) स्वत्व निर्धारण का है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बहार है।

अतः उभय पक्ष यदि चाहे तो मामले को सक्षम न्यायालय में दायर कर स्वत्व निर्धारण कर सकते हैं। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग


अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग